(का.) 07692 - 220444

(नि.) 07692 - 220301

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

कारण बताओ नोटिस

क्रमांक / 351 /उपार्जन/ 2025 सिवनी, दिनांक 17/03/25

प्रति,

**श्री महेश अग्रवाल,**
**ता.अनुविभागीय अधिकारी, बरघाट**
**वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी, केवलारी**
**जिला– सिवनी ।**

द्वाराः– **तहसीलदार केवलारी ।**

विषयः– शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने के संबंध में ।

आप अवगत हैं कि मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन कार्य जिले में जारी होने के फलस्वरूप शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम को नियत समयावधि में उच्च गुणवत्ता के साथ संचालित किये जाने हेतु समय–समय पर आयोजित समीक्षा बैठक में, समय सीमा सह अंतर्विभागीय समन्वय की बैठक में एवं विभागीय बैठकों में भी निर्देशित किया जाता रहा है ।

यह संज्ञान में लाया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायरा याचिका क्रमांक/एसीआरसी/ 40647/2024 में सत्यनारायण बघेल बनाम मध्यप्रदेश में याचिकाकर्ता द्वारा थाना प्रभारी अरी को पक्षकार बनाया गया है । माननीय न्यायालय द्वारा तात्कालीन कलेक्टर को यह आदेश दिया गया कि व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वर्ष 2023–24 की धान खरीदी के दौरान ताखलाकलां सहकारी समिति में नियुक्त नोडल अधिकारी के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है । कार्यालयीन अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि आपके द्वारा उक्त धान खरीदी केन्द्र में संबंधित पटवारी के पर्यवेक्षण हेतु नोडल अधिकारी होने के उपरान्त भी दिनांक 20 जनवरी 2024 को आवेदन प्रस्तुत कर 10.01.2024 से अवकाश मांगा था, जिसे आपके द्वारा स्वीकृत किया गया । इससे स्पष्ट है कि 10 दिनों तक संबंधित पटवारी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किये बिना तथा उसके पश्चात भी अवकाश स्वीकृत होने से पूर्व ही अवकाश पर चला गया तथा धान खरीदी केन्द्र के नोडल का प्रभार भी अन्य पटवारी को नहीं दिया गया ।

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि आपके द्वारा यह जानते हुए कि संबंधित पटवारी उक्त खरीदी केन्द्र का नोडल है एवं उसके अनाधिकृत रूप से अवकाश में रहने की स्थिति में उक्त धान खरीदी केन्द्र में अनियमितता की स्थिति निर्मित हुई ।

उपरोक्तानुसार स्पष्ट परिलक्षित होता है कि शासन से प्राप्त निर्देशों, कार्यालय द्वारा समक्ष में, बैठकों में निर्देशों के उपरान्त भी आपके द्वारा शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के कियान्वयन में स्वेच्छाचारिता पूर्वक कार्य संपादन कर पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती जा रही है, जो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता, लापरवाही और अनुशासनहीनता का द्योतक है ।

Scanned with CamScanner

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बरघाट के महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए उक्तानुसार कृत्यों से स्पष्ट है कि आपके द्वारा विभागीय कार्यों एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सौंपे गये कार्यों में रूचि नहीं ली जाकर पदीय दायित्वों एवं सौंपे गये कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती जा रही है । अतः क्यों न आपके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ।

उपरोक्तानुसार आपके द्वारा संबंधित पटवारी के अवकाश पर जाने के फलस्वरूप अन्य पटवारी को प्रभार न दिये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानकर कि आपको आरोप स्वीकार है, आपके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगें ।

17/03/25

( संस्कृति जैन )
**कलेक्टर**
**सिवनी**

पृ.क्रमांक / 352 / अका.जि./ 2025 सिवनी, दिनांक 17/03/25

प्रतिलिपि –

1. तहसीलदार केवलारी जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ । उक्त कारण बताओ नोटिस श्री महेश अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व केवलारी जिला–सिवनी को तामिल कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति लौटती डाक से भेजना सुनिश्चित करे ।

**कलेक्टर**
**सिवनी**

Scanned with CamScanner